परीक्षा शाखा

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

****

परीक्षा नोटिस जारी करना और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना

प्रश्न 1. परीक्षा नोटिस कब जारी किया जाता है?

उत्तर - संघ लोक सेवा आयोग के नोटिसों में सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षा नियमावलियों को संक्षिप्त रूप में शामिल किया जाता है। सभी 13 संरचनाबद्ध परीक्षाओं से संबंधित परीक्षा नोटिसों को संगत परीक्षा की तारीख से लगभग तीन महीने पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। परीक्षा नोटिस (सूचनापरक) एंप्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में भी प्रकाशित किए जाते हैं।

प्रश्न 2. परीक्षाओं/भर्ती परीक्षणों के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग के वार्षिक कार्यक्रम (कैलेंडर) से क्या तात्पर्य है?

उत्तर - संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी संरचनाबद्ध परीक्षाओं/भर्ती परीक्षणों का वार्षिक कार्यक्रम (कैलेंडर) आयोग कम से कम 06 माह पहले प्रकाशित करता है, अर्थात् अगले कैलेंडर वर्ष के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं/भर्ती परीक्षणों का कार्यक्रम जून में जारी किया जाता है। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और साथ ही देश के प्रमुख समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम में प्रत्येक परीक्षा के लिए परीक्षा नोटिस को जारी किए जाने की तारीख का भी उल्लेख किया जाता है।

प्रश्न 3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन किस प्रकार किया जाए?

उत्तर - उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पोर्टल (https://upsconline.nic.in) के माध्यम से, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 4. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को कितना समय प्रदान किया जाता है?

उत्तर – ऑनलाइन आवेदन करने की समयावधि का उल्लेख परीक्षा नोटिस में स्पष्ट रूप से किया जाता है। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर प्रदान किए गए अनुदेशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए लगभग 3 सप्ताह तक का समय मिलता है।

प्रश्न 5. किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की स्थिति में क्या परिणाम होगा?

उत्तर - किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक बार ऑनलाइन आवेदन करने से बचना चाहिए। परंतु ऐसा हो जाने की स्थिति में आयोग, उम्मीदवार द्वारा सफलतापूर्वक सबसे बाद में (उच्चतम आरआईडी नंबर) जमा किए आवेदन पत्र में प्रदान किए गए डाटा को ही स्वीकार करता है। पहले के किसी भी आवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और पहले के इन सभी आवेदनों को सबसे बाद वाले पूर्ण तथा अंतिम रूप से सब्मिट किए गए आवेदनों के साथ समामेलित कर दिया जाता है। यदि कोई आवेदक(जो पहले ही सफलतापूर्वक आवेदन कर चुका है) अपने आवेदन में संशोधन करने का इच्छुक हो, तो उसे संबंधित परीक्षा हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को या इससे पहले नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अत:, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परीक्षा शुल्क केवल सबसे बाद वाले आवेदन पत्र, जो हर दृष्टि से पूर्ण हो, के साथ ही जमा किया जाए। किसी एक आरआईडी संख्या के संबंध में जमा किए गए शुल्क को किसी अन्य आरआईडी संख्या के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 6. यदि मैं बैंक चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहूं, तो मुझे कब आवेदन करना चाहिए?

उत्तर - परीक्षा नोटिस में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाता है। बैंक चालान के माध्यम से भुगतान करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन, अधिसूचित अंतिम तारीख से कम से कम एक दिन पहले जमा करना चाहिए ताकि वे बैंक चालान जनरेट (सृजित) कर सकें जिसे देशभर की किसी भी एसबीआई शाखा में बैंक के कार्य समय के दौरान जमा करवाया जा सकता है। बैंक चालान सृजित करने की यह सुविधा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के अंतिम दिन, सिस्टम द्वारा स्वत: निष्क्रिय हो जाएगी। हालांकि, बैंक चालान को एसबीआई की किसी भी शाखा में जमा करने का कार्य उम्मीदवार अंतिम दिन भी कर सकते हैं। बैंक चालान सृजित करने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के भाग-II में मौजूद है।

प्रश्न 7. किस श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है?

उत्तर - महिला उम्मीदवारों, बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं हेतु परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

प्रश्न 8. 'फर्जी भुगतान' या 'कोई शुल्क नहीं' से क्या तात्पर्य है?

उत्तर - समस्त भुगतान मॉड्यूल (भुगतान गेटवे का प्रबंधन करने सहित), निर्दिष्ट बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसे भुगतान, जिनका उल्लेख उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में तो किया जाता है, परंतु जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिप्रमाणित नहीं किया जाता उन्हें 'फर्जी भुगतान' अथवा 'कोई शुल्क नहीं' कहा जाता है।

प्रश्न 9. 'फर्जी भुगतान' या 'कोई शुल्क नहीं' संबंधी मामलों का निपटान आयोग द्वारा किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर - जिन आवदेकों का भुगतान फर्जी पाया जाता है, उन्हें ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे भुगतान का वास्तविक प्रमाण आयोग में प्रस्तुत करें। इन आवेदकों को ई-मेल में उल्लिखित निर्धारित समय-सीमा के भीतर यह प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। यह प्रमाण दस्ती रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आयोग में जमा किया जा सकता है। इस संबंध में यदि उम्मीदवारों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो उनके आवेदनों को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाता है और इस संबंध में आगे किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाता।

प्रश्न 10. समुदाय संबंधी आरक्षण अथवा बेंचमार्क विकलांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करते हुए उम्मीदवारों को कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए?

उत्तर – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों/पूर्व-सैन्यकर्मियों को प्राप्त आरक्षण/रियायतों का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे संबंधित परीक्षा की नियमावली/नोटिस में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार उक्त प्रकार के आरक्षण/रियायत की सुविधा उठाने के लिए वास्तव में हकदार हैं। आरक्षण की सुविधा का लाभ उठाने के लिए यह भी आवश्यक है कि उम्मीदवारों के पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र, संबंधित परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले तथा किसी भी स्थिति में परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख तक, अवश्य उपलब्ध होने चाहिए।

प्रश्न 11. क्या कोई उम्मीदवार, अपने समुदाय में परिवर्तन कर सकता है?

उत्तर - यदि किसी उम्मीदवार की जाति/जनजाति को केन्द्र सरकार द्वारा आरक्षित समुदाय की श्रेणी में शामिल किया जाता है तो वह उम्मीदवार समुदाय के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र होता/होती है, यदि उसने इसका दावा किया हो। परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद, समुदाय को अनारक्षित श्रेणी से आरक्षित श्रेणी में परिवर्तित करने के संबंध में आयोग किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करता। हालांकि, कुछ अपवादस्वरूप मामलों में, जब आवेदन जमा करने की तारीख से 2-3 माह के भीतर किसी जाति-विशेष को आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल कर लिया जाता है, तब आयोग, विशेष मामला मानते हुए, समुदाय में परिवर्तन संबंधी अनुरोध पर विचार कर सकता है।

परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के दुर्भाग्यवश शारीरिक रूप से विकलांग होने पर उम्मीदवार को ऐसा मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह संगत नियमों के अंतर्गत यथाउल्लिखित 40% अथवा इससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त है, ताकि उसे शारीरिक विकलांगता श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके।

प्रश्न 12. क्या उम्मीदवार अपनी उस जन्म तिथि में परिवर्तन कर सकता है, जिसका उल्लेख उसने अपने ऑनलाइन आवेदन में किया है?

उत्तर - उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई और आयोग द्वारा दर्ज कर ली गई जन्म तिथि में परिवर्तन के संबंध में आयोग किसी भी आधार पर परिवर्तन की अनुमति नहीं देता।

प्रश्न 13. उम्मीदवारों द्वारा गलत सूचना प्रदान किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है?

उत्तर - यदि यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार ने आयोग को गलत सूचना प्रदान की है अथवा कोई सूचना छुपाई है अथवा परीक्षा में प्रतिरूपधारक की सहायता लेने, नकल करने आदि जैसे अनुचित माध्यम का प्रयोग करता है तो आयोग के निर्णय के अनुसार उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देने से विवर्जित किया जा सकता है। इस बारे में विस्तृत अनुबंध परीक्षा नियमावली/ परीक्षा नोटिसों में शामिल किया गया है।

<u>ई-प्रवेश पत्र</u> :

प्रश्न 14. ई-प्रवेश पत्र कब जारी किए जाते हैं?

उत्तर - पात्र उम्मीदवारों को संबंधित परीक्षा प्रारंभ होने से लगभग तीन सप्ताह पहले ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं। ई-प्रवेश पत्र, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट [https://upsconline.nic.in] पर उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उम्मीदवार इन्हें डाउनलोड कर सकें। ई-प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जाता है।

यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से लगभग तीन सप्ताह पहले उसका ई-प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाता है अथवा उसे परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसे संबंधित ई-मेल आई डी के माध्यम से तत्काल आयोग से संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में सूचना, आयोग कार्यालय में स्थित सुविधा काउंटर पर स्वयं आकर अथवा फोन नं. 011-23381125/011-23385271/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 15. उम्मीदवारों को अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा स्थल आबंटित किए जाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

उत्तर - पात्र उम्मीदवारों को अनुक्रमांक तथा परीक्षा केन्द्र का आबंटन कंप्यूटर के जरिए बिना किसी क्रम के किया जाता है और इसमें किसी प्रकार का मैनुअल हस्तक्षेप नहीं होता। आयोग, उम्मीदवारों को उनकी पसंद के अनुसार परीक्षा केन्द्र आबंटित करने का हरसंभव प्रयास करता है जो "पहले आवेदन -पहले आबंटन" के आधार पर किया जाता है। यदि किसी केन्द्र विशेष की क्षमता पूरी हो जाती है, तो वह केंद्र उम्मीदवारों को विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए, उम्मीदवार को उपलब्ध केंद्रों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अत: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यथाशीघ्र आवेदन करें ताकि उन्हें उनकी पसंद का परीक्षा केन्द्र आबंटित हो सके। तथापि, यह नोट करें कि उस समय पैदा होने वाली विशेष स्थितियों के समाधान के लिए आयोग अपने विवेक से उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्रों में बदलाव कर सकता है।

प्रश्न 16. क्या परीक्षा केन्द्र/ परीक्षा स्थल में परिवर्तन संबंधी अनुरोधों को स्वीकार किया जाता है?

उत्तर - उम्मीदवार यह नोट करें कि परीक्षा केन्द्र/ स्थल में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाता।

प्रश्न 17. क्या कोई उम्मीदवार, आयोग द्वारा उसके प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केन्द्र/ परीक्षा स्थल से भिन्न किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा दे सकता/ सकती है?

उत्तर - किसी भी उम्मीदवार को आयोग द्वारा उसके प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केन्द्र/ परीक्षा स्थल से भिन्न किसी अन्य परीक्षा केन्द्र/ परीक्षा स्थल पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं है। यदि कोई उम्मीदवार, आयोग द्वारा उसके प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देता/देती है (न्यायालय आदेश को छोड़कर), तो उसके पेपरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

प्रश्न 18. उम्मीदवारों को फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करते हुए कौन-कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए?

उत्तर - ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, उम्मीदवार को अपनी फोटो और अपने हस्ताक्षर को ".जेपीजी" (.JPG) फॉर्मैट में इस प्रकार विधिवत् स्कैन करवा लेना चाहिए ताकि प्रत्येक फाइल अनिवार्यत: 300 केबी से बड़ी न हो और 20 केबी से छोटी न हो। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अनिवार्यत: स्पष्ट होने चाहिएं। स्वीकार्य फोटो तथा हस्ताक्षर के नमूने एप्लीकेशन मॉड्यूल में प्रदर्शित किए गए हैं।

उम्मीदवारों को अपनी फोटो अत्यंत सावधानीपूर्वक अपलोड करनी चाहिए क्योंकि फोटोग्राफ के अपलोड होने और ऑनलाइन आवेदन जमा हो जाने के बाद किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर अपलोड करने की जिम्मेदारी केवल उम्मीदवार की है और गलत फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर अपलोड होने की स्थिति में झूठी पहचान प्रस्तुत करने के कारण उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र की जांच ध्यानपूर्वक करनी चाहिए और यदि कोई विसंगतियां/ त्रुटियां हों तो उसके बारे में तत्काल संघ लोक सेवा आयोग को सूचित करें।

प्रश्न 19. परीक्षा के दौरान परीक्षा स्थलों पर तथा व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) आयोजन के दौरान सं.लो.से.आ. परिसर में कौन-कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित हैं?

उत्तर - (क) मोबाइल फोन (यहाँ तक कि स्विच ऑफ मोड में भी नहीं), कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाले साधन अथवा स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ियां आदि या कैमेरा या ब्लूटूथ उपकरण या चालू या स्विच ऑफ मोड में ऐसे अन्य संबंधित संचार उपकरण, जिनका संचार उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता हो या कोई अन्य संचार उपकरण और आईटी गैजेट प्रतिबंधित वस्तुएं हैं और इसलिए परीक्षा स्थल परिसर जहाँ परीक्षा आयोजित की जा रही हो और व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) आयोजन के दौरान सं.लो.से.आ.

परिसर में भी इन्हें अंदर लाने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का किसी प्रकार से उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उक्त परीक्षा हेतु उम्मीदवारी रद्द किया जाना और भावी परीक्षाओं/ चयन से विवर्जित किया जाना भी शामिल है।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/ब्लूटूथ उपकरण आदि (ऊपर दिए गए विवरणानुसार) जब परीक्षा चल रही हो तब कोई भी प्रतिबंधित वस्तु उस समय परीक्षा स्थल और सं.लो.से.आ. परिसर में लेकर न आएं ।

(ग) उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे कोई भी कीमती/महंगी वस्तु परीक्षा हॉल/संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में न लाएं, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रश्न 20. क्या परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने के लिए फोटो आईडी कार्ड लाना आवश्यक है?

उत्तर- आवेदक को आयोग की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय फोटो आईडी कार्ड (अर्थात् आधार कार्ड / वोटर कार्ड/ पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ केंद्र/ राज्य/केन्द्र शासित सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य फोटो आईडी कार्ड) की संख्या भरनी होगी और अपलोड करना होगा। उम्मीदवार को परीक्षा के लिए जारी किए गए ई-प्रवेशपत्र पर फोटो आई डी कार्ड का उपर्युक्त नंबर अंकित होता है। परीक्षा/साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को ई-प्रवेशपत्र/ई-सम्मन पत्र के साथ उसी फोटो आई डी कार्ड को साथ लाना होगा। यह फोटो आई डी कार्ड सभी भावी संदर्भो के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। यदि वह उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार के दौरान उसे प्रस्तुत नहीं कर पाता है/पाती है तो उसे केन्द्र/राज्य/संघ शासित सरकार द्वारा जारी अन्य फोटो आई डी कार्ड के साथ वचनबंध प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 21. परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करने के लिए समय क्या है और परीक्षा स्थल में प्रवेश बंद करने का समय क्या है।

उत्तर- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से परीक्षा स्थल पर पहुंच जाएं ताकि आवश्यक नियमों का पालन करने के पश्चात परीक्षा स्थल के अंदर प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके। जहां तक प्रवेश बंद होने के समय का संबंध है। उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि परीक्षा स्थल पर प्रवेश, परीक्षा सत्र के शुरू होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि सत्र प्रात: 10.00 बजे से शुरू होता है तो परीक्षा स्थल में प्रवेश प्रात: 09:50 बजे बंद हो जाएगा।

<u>ऑनलाइन आवेदनों को अस्वीकार करने के कारण</u>

प्रश्न 22. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कौन-कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिएं?

उत्तर - ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले कृपया अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

प्रश्न 23. आरआईडी क्या है?

उत्तर - आरआईडी पंजीकरण आईडी है । जब आवेदक अपने आवेदन पत्र के भाग-1 की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करते है तब यह सिस्टम द्वारा जनरेट होता है।

प्रश्न 24. टीआईडी क्या है?

उत्तर - टीआईडी ट्रांजेक्शन आईडी है । यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उस समय प्रदान किया जाता है जब आवेदक अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान नकद रूप में करता है। यदि इंटरनेट बैंकिंग अथवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाता है, तो टीआईडी स्वत: जनरेट हो जाता है।

प्रश्न 25. आवेदन पत्र के भाग-I तथा भाग-II से क्या तात्पर्य है?

उत्तर - ऑन लाइन आवेदन पत्र के दो भाग होते हैं, अर्थात् भाग-I और भाग-II ।

- आवेदन के भाग-I में व्यक्तिगत ब्यौरे जैसे नाम, माता / पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, शैक्षणिक योग्यता, आयु में छूट, स्क्राइब संबंधी विवरण(केवल बैंचमार्क अशक्तता वाले उम्मीदवारों के लिए जो स्क्राइब का विकल्प चुनेंगे और परीक्षा विशेष की वरीयताएं आदि शामिल हैं। आवेदकों को अपने फोटो पहचान पत्र की संख्या का भी उल्लेख करना होगा ।

- आवेदन के भाग-II में परीक्षा शुल्क के भुगतान का विकल्प (केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है), परीक्षा केन्द्र के साथ-साथ उम्मीदवार की फोटो, हस्ताक्षर और फोटो पहचान पत्र को अपलोड करना शामिल है।

  उम्मीदवार को उक्त परीक्षा का उम्मीदवार बनने के लिए उम्मीदवार को भाग । तथा भाग ॥, दोनों को पूरा करना और अन्तिम रूप में जमा करना होगा ।

प्रश्न 26. भाग-II को नहीं भरा जाना/परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया जाना।

उत्तर - यदि भाग-II को जमा किए बिना आवेदन पत्र का केवल भाग-I जमा किया जाता है तो आवेदन अधूरा रहेगा और उम्मीदवारी रजिस्टर नहीं हो सकेगी। उन मामलों में भी आवदेन को अधूरा माना जाएगा जब आवेदक ने भाग-। को जमा कर दिया हो और परीक्षा शुल्क भी जमा कर दिया हो, परंतु भाग-॥ को पूरा न किया हो (अर्थात् उसने परीक्षा केन्द्र, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर तथा फोटो पहचान पत्र जमा न किए हों) ।

प्रश्न 27. भाग-II पंजीकरण के कौन-कौन से स्टेप हैं?

उत्तर - भाग-II पंजीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित स्टेप शामिल हैं:-

1. शुल्क का भुगतान (केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है)।

2. उपलब्ध ड्रॉप डाउन मेन्यू में से परीक्षा केन्द्र का चयन करना।

3. फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और फोटो पहचान पत्र अपलोड करना।

4. घोषणा (डिक्लेरेशन) से सहमत होना।

28. परीक्षा केन्द्र के विकल्प को सबमिट नहीं करना।

उत्तर - यदि किसी उम्मीदवार ने भाग-II में केन्द्र का विकल्प नहीं भरा है तो ऑनलाइन प्रणाली द्वारा उम्मीदवार को फार्म सब्मिट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आवेदन-पत्र की स्थिति "सब्मिट नहीं किया गया" भी रहेगी। इस प्रकार वह उस विशिष्ट परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाएगा / जाएगी । अत:, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र का विकल्प चुनने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

प्रश्न 29. शुल्क का भुगतान नहीं करना।

उत्तर - शुल्क का भुगतान नहीं करने पर (यदि शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है) उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी ।

प्रश्न 30. बैंक चालान के माध्यम से भुगतान के मामले में गलत टीआईडी की प्रविष्ट करना ।

उत्तर - यह देखा गया है कि बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुतान करने वाले कुछ उम्मीदवार या तो टी आई डी की गलत प्रविष्ट कर देते हैं या पुराना टी आई डी सब्मिट कर देते हैं । यह भी देखा गया है कि एक से अधिक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके साथ परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया जाता है अथवा किसी आवेदन (आर आई डी) के शुल्क संबंधी विवरण (टी आई डी) का उल्लेख भिन्न आर आई डी वाले दूसरे आवेदन-पत्र के समक्ष किया जाता है । इसके कारण से ऑनलाइन आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिए जाते हैं ।

प्रश्न 31. फोटोग्राफ/हस्ताक्षर की अदला-बदली करना या इनकी गुणवत्ता खराब होना।

उत्तर - अपलोड किए गए फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की गुणवत्ता का खराब होना या इनकी अदला-बदली करने से भविष्य में समस्याएं उत्पन्न होगी । अत: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कृपया आवेदन पत्र भरते समय एप्लीकेशन मॉड्यूल में स्वीकार्य फोटोग्राफ/हस्ताक्षर संबंधी संगत अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें ।

सिविल सेवा परीक्षा

प्रश्न 32. सिविल सेवा परीक्षा की संरचना क्या है?

उत्तर - सिविल सेवा परीक्षा में दो क्रमिक चरण (स्टेज) शामिल हैं: सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा और सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा(लिखित एवं साक्षात्कार)।

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा

प्रश्न 33. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा क्या है?

उत्तर - संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.), भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.), भारतीय पुलिस सेवा (भा.पु.से.) तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतु सरकार (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित नियमावली के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करता है।

यह परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट स्वरूप की है; प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांक, जिनके आधार पर उन्हें प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हक घोषित किया जाता है, की गणना उनके अंतिम योग्यता क्रम के निर्धारण के लिए नहीं की जाती है । केवल ऐसे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा उस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में अर्हक घोषित किए जाते हैं, उस वर्ष-विशेष की प्रधान परीक्षा देने के पात्र होंगे बशर्ते कि वे प्रधान परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु अन्यथा पात्र हों।

प्रश्न 34. क्या सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा हेतु किए गए प्रयास की गणना सिविल सेवा परीक्षा के लिए किए गए प्रयास के रूप में की जाती है?

उत्तर - (i) प्रारंभिक परीक्षा हेतु किए गए प्रयास को सिविल सेवा परीक्षा के लिए किए गए एक प्रयास के रूप में माना जाएगा। (ii) यदि कोई उम्मीदवार वस्तुत: प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक पेपर में भी शामिल होता है, तब यह माना जाएगा कि उसने परीक्षा के लिए प्रयास किया है। (iii) परीक्षा में उम्मीदवार के शामिल होने की गणना परीक्षा के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयास के

रूप में की जाएगी भले ही अयोग्यता / किसी अन्य आधार पर परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई हो।

प्रश्न 35. यदि किसी उम्मीदवार ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए आवेदन किया है, लेकिन वह सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के किसी भी पेपर में शामिल नहीं हुआ हो, तो क्या इसकी गणना प्रयास के रूप में की जाएगी?

उत्तर - नहीं। प्रयास की गणना केवल तभी की जाएगी, जब कोई उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में कम से कम किसी एक पेपर में शामिल हुआ हो।

प्रश्न 36. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा की योजना क्या है?

उत्तर - परीक्षा में दो अनिवार्य पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है। (i) दोनों ही पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुविकल्पी उत्तरों वाले) होते हैं। (ii) प्रश्न-पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं। (iii) पाठ्यक्रम का विवरण सरकार द्वारा प्रकाशित परीक्षा नोटिस एवं राजपत्र अधिसूचना में दिया होता है। (iv) प्रत्येक पेपर दो घंटे का होता है।

प्रश्न 37. क्या सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II अर्हक स्वरूप के होते है ? इस प्रश्न-पत्र के लिए कट-ऑफ अंक क्या हैं?

उत्तर - हां, सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II अर्हक स्वरूप का होता हैं । इस प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हक मानकों को परीक्षा नियमावली में निर्दिष्ट किया गया है तथा वर्तमान में यह 33% है।

प्रश्न 38. क्या सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) होता है ?

उत्तर - उम्मीदवार यह नोट करें कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में किसी उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर दंड (ऋणात्मक अंकन) होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर स्वरूप चार विकल्प मौजूद हैं। (i) किसी प्रश्न हेतु उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से एक तिहाई (1/3) अंकों की दंड स्वरूप कटौती कर दी जाएगी। (ii) यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है तब इसे गलत उत्तर माना जाएगा भले ही उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कोई उत्तर सही हो तथा उस प्रश्न के लिए भी उपर्युक्त दंड होगा। (iii) यदि कोई प्रश्न छोड़ दिया जाता है, अर्थात उम्मीदवार कोई उत्तर नहीं देता है तब उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा।

प्रश्न 39. निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है?

उत्तर - उम्मीदवार के पास अनिवार्यत: भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा शामिल किसी विश्वविद्यालय अथवा संसद के किसी कानून के तहत स्थापित किसी अन्य शैक्षिक संस्थान, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है, से प्राप्त डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

प्रश्न 40. किसी सेवा/पद हेतु अपेक्षित शारीरिक अपेक्षाएं/प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के संदर्भ में, के अनुसार पात्रता संबंधी मानदंड क्या हैं?

उत्तर - बैंचमार्क अशक्ता वाले उम्मीदवारों को भी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा चिन्हित

सेवा/पद हेतु यथानिर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप शारीरिक अपेक्षा/प्रकार्यात्मक वर्गीकरण (योग्यताएं/अशक्तताएं) के अनुसार पात्रता संबंधी विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना अपेक्षित होगा। शारीरिक अपेक्षाओं एवं प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का विवरण परीक्षा की नियमावली / नोटिस में दिया गया है।

प्रश्न 41. सरकारी सेवा में पहले से कार्यरत व्यक्तियों को अपने कार्यालय प्रमुख को क्या जानकारी देनी चाहिए?

उत्तर - सरकारी सेवा में पहले से मौजूद व्यक्तियों, जिनमें दिहाड़ी अथवा दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्यरत कर्मचारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी कर्मचारी शामिल हैं, चाहे वे स्थायी अथवा अस्थायी या कार्य प्रभारी के तौर पर कार्यरत हों, को इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख को लिखित तौर पर यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवार यह नोट करें कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से इस परीक्षा के लिए उनके आवेदन को स्वीकार नहीं करने/परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगाने संबंधी कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है ।

प्रश्न 42. समुदाय आरक्षण संबंधी और समुदाय परिवर्तन संबंधी क्या प्रावधान है?

उत्तर - कोई भी उम्मीदवार समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ उठाने का पात्र तभी होगा जब वह विशिष्ट समुदाय/जाति/जनजाति जिससे उम्मीदवार संबंधित है, केन्द्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित

समुदायों की सूची में शामिल हो। यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र में यह इंगित करता है कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है परंतु बाद में आयोग को यह लिखता है कि उसकी श्रेणी आरक्षित श्रेणी में बदल दी जाए तो ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा । बैंचमार्क अशक्तता वाले उम्मीदवारों के मामले में भी इसी सिद्धांत का पालन किया जाएगा। तथापि कुछ असाधारण मामलों में जहां आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से 3 माह के अंदर किसी विशिष्ट जाति/जनजाति का नाम आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया जाता है, एक विशेष मामले के तौर पर आयोग समुदाय में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार कर सकता है ।

यदि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान दुर्भाग्यवश कोई उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो उम्मीदवार को संगत नियमों में उल्लिखित 40 % या अधिक की विकलांगता दर्शाने से संबंधित एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा ताकि उसे विकलांगता से संबंधित आरक्षण का लाभ दिया जा सके ।

प्रश्न 43. अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., ई. डब्ल्यू. एस. एवं बैंचमार्क अशक्तता वाले **उम्मीदवारों के लिए आरक्षण संबंधी क्या प्रावधान हैं?**

उत्तर - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं बैंचमार्क अशक्तता वाले उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों के मामले में आरक्षण सरकार द्वारा यथानिर्धारित नीति के तहत दिया जाएगा ।

<u>सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा</u>

प्रश्न संख्या 44: क्या उम्मीदवार ऐसे वैकल्पिक विषय को चुन सकता है जो उसने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर नहीं पढ़ा है ?

उत्तर:- जी हां ।

प्रश्न संख्या 45:- प्रश्न पत्रों की भाषा/ माध्यम क्या है?

उत्तर:- सभी प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं (भाषा साहित्य के प्रश्न पत्रों के अलावा) ।

प्रश्न संख्या 46 :- क्या उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के अलग-अलग पेपर विभिन्न भाषाओं में दे सकता है?

उत्तर:- नहीं, क्वालीफाइंग भाषा प्रश्न पत्र-क और प्रश्न पत्र-ख-दो को छोड़कर, उम्मीदवार के पास अंग्रेजी अथवा आठवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वीकार्य किसी भी भाषा में अपने उत्तर लिखने का विकल्प होता है । जैसा कि उन्होंने सिविल सेवा (प्रारंभिक परीक्षा) के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय भरा है ।

प्रश्न संख्या 47:- सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के प्रश्न पत्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि कितनी होती है?

उत्तर:- परीक्षा के प्रश्न पत्र परंपरागत (निबंधात्मक) प्रकार के होते हैं । प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे होती है ।

प्रश्न संख्या 48:- क्या उम्मीदवार सिविल सेवा प्रधान परीक्षा अंग्रेजी में तथा साक्षात्कार हिंदी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा में दे सकता है?

उत्तर:- सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के लिखित भाग के लिए भारतीय भाषा माध्यम चुनने वाले उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु उसी भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी अथवा हिंदी को माध्यम के रूप में चुन सकते हैं ।

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिखित भाग के लिए अंग्रेजी का चयन करने वाले उम्मीदवार साक्षात्कार के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा उनके द्वारा सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिखित भाग में अनिवार्य भारतीय भाषा प्रश्न पत्र

के लिए चुनी गई किसी भी अन्य भारतीय भाषा को साक्षात्कार के लिए चुन सकते हैं ।

उम्मीदवार को विस्तृत आवेदन फॉर्म (डी.ए.एफ.) भरते समय साक्षात्कार की भाषा के माध्यम को सूचित करना होता है ।

तथापि जिन उम्मीदवारों को अनिवार्य भारतीय भाषा प्रश्न पत्र से छूट मिली हुई है, उन्हें साक्षात्कार अथवा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अंग्रेजी अथवा हिंदी को माध्यम के तौर पर चुनना होगा ।

प्रश्न संख्या 49:- अनिवार्य भाषा प्रश्न पत्रों के लिए कट ऑफ अंक क्या होते हैं?

उत्तर :- दोनों अर्हक प्रश्न पत्रों अर्थात अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में न्यूनतम अर्हक मानकों के बारे में परीक्षा नियमावली में बताया गया है जो वर्तमान में 25% है ।

प्रश्न संख्या 50:- क्या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम जैसे राज्यों में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए भारतीय भाषा प्रश्न पत्र अनिवार्य है?

उत्तर:- अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम जैसे राज्यों में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए भारतीय भाषा प्रश्न पत्र-क अनिवार्य नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करते समय इन उत्तर पूर्वी राज्यों में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र में भारतीय भाषा का विकल्प स्वत: ही निष्क्रिय (डिसएबल) हो जाएगा ।

प्रश्न संख्या 51:- क्या बेंच मार्क विकलांगता श्रेणी के व्यक्तियों के लिए भारतीय भाषा प्रश्न पत्र अनिवार्य है?

उत्तर:- हां, बेंच मार्क विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए भारतीय भाषा का प्रश्न पत्र-क अनिवार्य है। तथापि श्रवण बाधित उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा बशर्ते संबंधित शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें द्वितीय एवं तृतीय भाषाई पाठ्यक्रमों से इस प्रकार की छूट दी गई हो। उम्मीदवार को इस प्रकार की

छूट प्राप्त करने के लिए इस संबंध में एक वचन बंध / स्व-घोषणा आयोग को देनी होगी ।

प्रश्न संख्या 52:- सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिखित भाग में मेरिट रैंकिंग के लिए किन अंकों की गिनती की जाएगी ?

उत्तर:- उम्मीदवार द्वारा पेपर 1- VII में प्राप्त अंकों को मेरिट रैंकिंग के लिए गिना जएगा (उन उम्मीदवारों के अंकों को गिना जाएगा, जिन्होंने अर्हक प्रश्न पत्रों में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किए हो)। तथापि आयोग अपने विवेकाधिकार से किसी अथवा इन सभी प्रश्न पत्रों के लिए अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है ।

<u>अन्य महत्वपूर्ण मदें</u>:

प्रश्न संख्या 53:- प्रकटीकरण योजना (डिस्क्लोजर स्कीम) क्या है?

उत्तर:- संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा - 2017 के समय असंस्तुत उम्मीदवारों के अंकों तथा अन्य सूचनाओं के प्रकटीकरण की योजना कार्यान्वित की गई। इस योजना के अंतर्गत ऐसे असंस्तुत इच्छुक उम्मीदवार आते हैं जिन्होंने आयोग की परीक्षा के साक्षात्कार/ एसएसबी क्षेत्र में भाग लिया है । इस प्रकार के उम्मीदवारों के संबंध में आयोग की वेबसाइट (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एनसीएस पोर्टल के लिए लिंक) पर जो जानकारी दी जाती है वह इस प्रकार है- अनुक्रमांक क्रम में क्रमबद्ध अनुसार उम्मीदवार का नाम, पिता/ पति का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग, शैक्षिक अर्हताएं, कुल अंक आदि। इस योजना का उद्देश्य अन्य नियोक्ताओं को अच्छे सेवा योग्य उम्मीदवारों को पहचानने के लिए एक उपयोगी डाटाबेस प्रदान करना है। किसी परीक्षा की इस प्रकार की जानकारी प्रकटीकरण की तारीख से 1 वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी।

प्रश्न संख्या 54:- किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आयोग का रिप्रेजेंटेशन (अभ्यावेदन) पोर्टल क्या है?

उत्तर:- (क) प्रत्येक परीक्षा के लिए उस परीक्षा के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन देने के लिए उम्मीदवारों के लिए कुल 7 दिन

(1 सप्ताह) का समय निश्चित होता है अर्थात परीक्षा की तारीख के अगले दिन से सातवें दिन शाम 6:00 बजे तक । 7 दिन की यह अवधि बीतने के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ख) एक दिवसीय परीक्षा के मामले में जैसे कि यदि परीक्षा का आयोजन 1 मार्च को हुआ है तो 2 मार्च से 8 मार्च तक (शाम 6:00 बजे तक) अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

(ग) बहु दिवसीय परीक्षाओं के लिए, जिस तारीख को उस परीक्षा का अंतिम पेपर आयोजित किया जाता है, वह उस परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों पर अभ्यावेदन देने के लिए गिनी जाने वाली निर्णायक तारीख होगी। उदाहरण के तौर पर यदि बहु दिवसीय परीक्षा का अंतिम पेपर 1 जुलाई को आयोजित किया जाता है जबकि उस परीक्षा का पहला पेपर 29 जून को आयोजित किया जाता है, तो उम्मीदवार 2 जुलाई से 8 जुलाई तक (शाम 6 बजे तक) उस परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों के लिए अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(घ) इस तरह के अभ्यावेदन अनिवार्यत: “ऑनलाइन प्रश्न पत्र अभ्यावेदन पोर्टल” (QPRep)URL:http://upsconline.nic.in/miscellaneous/QPRep/ के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यह पोर्टल परीक्षा समाप्त होने के अगले दिन से अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए उपलब्ध होगा। । ईमेल/ डाक/अथवा किसी अन्य साधन द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पारस्परिक प्रश्न पत्रों का मूल्यांकनः

प्रश्न 55. लिखित परीक्षा के बाद, उत्तर पुस्तिकाओं को किस मानदंड पर मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है? क्या यह अनुक्रमांक सं. के आधार पर अथवा परीक्षा केंद्र पर आधारित है। अर्थात क्या किसी विशेष केंद्र अथवा अनुक्रमांक के विशेष ग्रुप की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी विशिष्ट परीक्षक/परीक्षकों के दल द्वारा किया जाता है?

उत्तर- विभिन्न स्थलों से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए भेजने से पूर्व उन्हें मिला दिया जाता है। मूल्यांकन से पहले प्रत्येक उत्तर पुस्तिका को कंप्यूटर आधारित बेतरतीब काल्पनिक कोड नंबर दिया जाता है।

प्रश्न 56- क्या उत्तर पुस्तिकाओं को अभ्यर्थियों के समुदाय के आधार पर अलग किया/छांटा जाता है?

उत्तर- मूल्यांकन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर यह नहीं किया जाता है।

प्रश्न 57- क्या ऐसी संभावना है कि मेरा मूल्यांकित प्रदर्शन मात्र इसलिए खराब है क्योंकि मेरी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन एक 'सख्त' परीक्षक द्वारा किया गया था, जबकि किसी अन्य परीक्षार्थी को लाभ हुआ क्योंकि उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक 'उदार' परीक्षक ने किया था?

उत्तर- मूल्यांकन में एकरूपता बनाए रखने के लिए, जहां एक से अधिक परीक्षक शामिल होते हैं वहां आयोग परीक्षा समाप्त होने के पश्चात अतिरिक्त परीक्षकों के साथ मुख्य परीक्षक की बैठक की व्यवस्था करता है। इस स्तर पर वे प्रश्न पत्र, उपयुक्त उत्तर और मूल्यांकन के मानक पर निर्णय लिए जाने पर व्यापक विचार-विमर्श करते हैं।

इसके अलावा, परीक्षकों में आपस में मूल्यांकन में एकरूपता लाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती हैः

मुख्य परीक्षक प्रत्येक अतिरिक्त परीक्षक की उत्तर पुस्तिकाओं का नमूना सर्वेक्षण करता है, ताकि वह ये जांच कर सके कि परीक्षकों की बैठक में समान मानक मूल्यांकन पर लिए गए निर्णय का वास्तव में पालन किया गया है अथवा नहीं। अतिरिक्त परीक्षक द्वारा अपनाए गए मानक के आधार पर, मुख्य परीक्षक बिना किसी परिवर्तन के परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों की पुष्टि करता है कि परीक्षक ने मानक निर्णय का सही ढंग से पालन किया है या नहीं अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया में अधिकतम संभव स्तर की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक समझा जाता है तो, वह अंकों को बढ़ाने/घटाने पर भी विचार कर सकता है। इसलिए

उम्मीदवारों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले पेपर में मूल्यांकन के मानक में अंतर-परीक्षकों की भिन्नता के पहलू का पर्याप्त तौर पर ध्यान रखा जाता है।

प्रश्न 58-क्या मैं किसी पेपर में मुझे दिए गए प्रश्नवार अंकों की जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ?

उत्तर- एक परीक्षक द्वारा आरंभिक मूल्यांकन के पश्चात् मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। समभाव(मॉडरेशन) जहां कभी भी लागू होता है, वह शुरूआत में दिए गए कुल अंक(तथाकथित 'रॉ मार्कर्स') पर लागू होता है न कि प्रश्नवार आधार पर । इसलिए, एक बार मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, न तो 'रॉ मार्कर्स' रहता है और न ही प्रश्नवार अंक रहता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के अंत में अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र में प्रदान किए गए कुल अंक रहता है और यह अंक सामान्यतया आयोग की वेबसाइट पर एक क्वेरी आधारित एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के माध्यम से अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, एक प्रतियोगी परीक्षा में आगे जो भी प्रासंगिक है वह किसी उम्मीदवार का समुचित प्रदर्शन नहीं है, अपितु उसका सम्पूर्ण प्रदर्शन यह निर्धारित करता है कि वास्तव में उसने अर्हता प्राप्त की है अथवा नहीं और यदि ऐसा होता है तो योग्यता सूची में अपना स्थान देख सकता है।

प्रश्न 59- यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के कुल अंक एक समान हैं, तो इन उम्मीदवारों के बीच तुलनात्मक योग्यता कैसे तय की जाती है ?

उत्तर- एकसमान अंक लाने वाले उम्मीदवारों के बीच उसके संबंध में मेरिट तय करने के लिए 'टाई ब्रेकिंग' सिद्धांत लागू किए जाते हैं ।

प्रश्न 60-जहाँ भी मूल्यांकन के मानक निर्धारित किए गए हैं अथवा मॉडरेशन लागू किया गया है, क्या ये अलग-अलग माध्यमों(भाषाओं) के लिए अलग-अलग हैं, जिस माध्यम में किसी विशेष विषय/ प्रश्न पत्र परीक्षा को लिखा जाता है?

उत्तर- नहीं। प्रश्न पत्र के लिए मूल्यांकन मानक/ मॉडरेशन माध्यम विशिष्ट नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, यदि परीक्षा के नियमों में यह प्रावधान है कि प्रश्न पत्र अंग्रेजी/हिंदी/मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में लिखा जा सकता है, तो उम्मीदवार

जिस माध्यम में प्रश्न पत्र लिखता है, वह मूल्यांकन मानकों का निर्धारण/ मॉडरेशन लागू करने का कारक नहीं होगा।

प्रश्न 61-क्या यह संभव है कि एक अभ्यर्थी की पहचान की जानकारी होने से मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है?

उत्तर- नहीं। मूल्यांकन से पहले प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर लिखे क्रमांक को अलग कर दिया जाता है और कंप्यूटर आधारित बेतरतीब काल्पनिक कोड नंबर दिया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के किसी भी स्तर (मॉडरेशन स्तर सहित) पर, प्रक्रिया से जुड़े किसी भी परीक्षक/कार्मिक को उम्मीदवार के वास्तविक अनुक्रमांक /पहचान की जानकारी नहीं होती है।